



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233723
CG-DL-E-24022022-233723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सं. 09/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 160(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हुई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलें” जो (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 6907 और 6914 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/39/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 22 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया है ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'विषयगत माल' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 सितंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 28 फरवरी, 2022 तक, जिसमें यह तरीख भी शामिल है, बढ़ाया गया है;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/39/2020-डीजीटीआर, दिनांक 26 नवंबर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) विषयगत वस्तु का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाता रहा जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गयी हुई है;
- (ii) मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने पर इसकी पुनः भरमार हो सकती है और क्षति के जारी रहने या फिर से होने की संभावना है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	6907, 6914	घुलनशील नमक, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी चीनी मिट्टी के बरतन/3% से कम जल अवशोषण और सभी आकार वाली विट्रिफाइड टाइलें *	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फोशान चानचेंग जिनी सिरेमिक कं, लिमिटेड और शिन जिंग सिरेमिक कं. लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	सीरियल नंबर 1 के अलावा कोई भी निर्माता	1.87	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

क्रम सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.87	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

* इस उत्पाद में माइक्रो-क्रिस्टल टाइलें, फुल बॉडी टाइलें और 5 मिमी. से कम मोटाई के पतले पैनल शामिल नहीं हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/44/2021-टीआरयू]

नीतिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

No. 09/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 160(E).—Whereas, the designated authority, vide notification No. 7/39/2020-DGTR, dated the 22nd January, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd January, 2021 had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption' (hereinafter referred to as "the subject goods"), falling under headings 6907 or 6914 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country) and imported into India, imposed vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2017-Customs(ADD), dated the 14th June, 2017 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 588(E), dated the 14th June, 2017;

And whereas, the Central Government has last extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the subject country up to and inclusive of the 28th February, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2021-Customs(ADD), dated the 30th September, 2021, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.685(E), dated the 30th September, 2021;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published vide notification No. 7/39/2020-DGTR, dated the 26th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th November, 2021, has inter-alia come to the conclusion that —

- i. the subject goods continue to be exported to India at prices below normal value resulting in continued dumping.
- ii. there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury upon cessation of the existing anti-dumping duties.

and has recommended continued imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/2017-Customs(ADD), dated the 14th June, 2017, vide number G.S.R. 588(E), dated the 14th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under headings of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table.

TABLE

S. No	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	6907, 6914	Soluble Salt, Double Charge, GVT and PGVT Porcelain /Vitrified Tiles with less than 3% water absorption and All sizes*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. and Xin Xing Zhisheng Ceramics Co.,Ltd.	Nil	Square Meter	US Dollar
2	-Do-	-Do-	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any producer other than serial no 1	1.87	Square Meter	US Dollar
3	-Do-	-Do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	1.87	Square Meter	US Dollar

* The product does not cover Micro-crystal tiles, Full body tiles and Thin Panels below 5 mm thickness.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, suspended and amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 190354/44/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.